

an&gt;

Title: Need to ensure participation of Members of Parliament in decision making process for utilisation of funds collected under District Mineral Foundation for development works in Chhattisgarh - laid.

**श्री मोहन मण्डावी (कांकेर):** खनिज न्यास निधि (D. M. F.) खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये होता है, G.D.M.F. में छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सांसदों की भूमिका इस मद से क्षेत्र विकास हेतु महत्वपूर्ण रहती थी । छत्तीसगढ़ में डी एम एफ़ में सांसद की भूमिका से पृथक किया गया है । कोरबा और बस्तर के माननीय सांसद को डी एम एफ़ फंड का सदस्य रखा है । शेष सांसदों को इस मद से पृथक रखा गया है ।

इस बात का उल्लेख भी आवश्यक है, इस फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में न होकर अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है । डी. एम. एफ़. फंड में सांसद की भूमिका नहीं रहने से इस मद का दुरुपयोग होना संभावित है ।

अतः उक्त विषय को लेकर सरकार के संज्ञान में लाते हुए नियमतः उचित कार्यवाही की पुरजोर मांग करता हूँ ।